36

समक्ष राजस्व मंडल (सदस्य) ग्वालियर

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता :— अक्षय तिवारी नाबालिग आ0 राजेन्द्र तिवारी द्वारा संरक्षक व पिता राजेन्द्र तिवारी आ0 रामदास तिवारी, निवासी—भगत सिंह वार्ड, गोटेगांव, तहसील—गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

बनाम

अनावेदक :— श्रीलाल तिवारी आ0 स्व0 नन्हेलाल तिवारी, निवासी—1922, प्रेमनगर, मदनमहल, जबलपुर, (म0प्र0)

आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 के अंतर्गत

आवेदक / निगरानीकर्ता रा0 मा0 कं0 32 अ / 06 वर्ष 2012—13 आदेश पारित दिनांक 15 / 07 / 13 पारित तहसीलदार गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है :—

"पुनरीक्षण के तथ्य"

1 यह कि मौजा छोटा छिंदवाड़ा प0ह0न0 16 ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3580–एक/13

जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोटेगांव के आदेश दिनांक 15–7–2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को इस शर्त पर अभिलेख पर लेना स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज, मेडीकल प्रमाणपत्र संदेहास्पद हो सकता है अतः प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सक को न्यायालय में उपस्थित कराकर प्रमाणपत्र को तस्दीक किया जाना आवश्यक होगा । आवेदक ने अपने तर्क में बताया है कि डॉ0 पाण्डे द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिया है अतः ऐसे प्रमाणपत्र को तस्दीक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । विरोध में अनावेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित आदेश उचित है अतः निगरानी निरस्त किया जाये क्योंकि इससे आवेदक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किया गया है उसे जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है उसके कथन के अभाव में ऐसा दस्तावेज महत्व नहीं रखता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह विधिसम्मत एवं न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	